क्रमांक 6838-3 एस-71/31493

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

(i) हरियणा के सभी विभागाध्यक्ष,
आयुक्त अम्बाला मण्डल, तथा सभी उपायुक्त और उप-मण्डल अधिकारी ।

(ii) रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय तथा हरियाणा के सभी जिला तथा स्तर न्यायाधीश ।

दिनांक चण्डीगढ, 3/8 नवम्बर, 1971 ।

विषय : गोपनीय रिपोर्ट--- प्रतिकूल कथनों के विरुद्ध अभिवेदन ।

महोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि मैं आप का ध्यान उपर्युक्त विषय पर हरियाणा सरकार के परिपत्र क्रमांक 6186-2 एस-69 दिनांक 10 दिसम्बर, 1969 की ओर दिलाऊं और कहूं कि यह बहुत असंतोषजनक तथा डीसटर्बिंग बात है कि उपरोक्त पत्र में जारी की गई हिदायतों के बावजूद भी कुछ ऐसे केसिज सरकार के ध्यान में आए हैं जिन में (प्रतिकूल विचारों के विरुद्ध अभिवेदनों में) वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ irresponsible और reckless तौर पर malafide की allegations लगाई जाती है अर्थात् कर्मचारी/अधिकारी द्वारा वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में दर्ज प्रतिकूल कथनों के विरुद्ध अभिवेदनों में रिपोर्टिंग आफिसरों के विरुद्ध झूठे तथा बेबुनियाद एलीगेशनज लगाई जाती हैं । यह डिसिपर्लीन के विरुद्ध कार्यवाही है और सरकर इसे गंभीरता से देखती है । यह निर्णय किया गया है कि इस तरह के दोष के लिए सख्त कार्यसाही की जाये तथा संबंधित कर्मचारी/अधिकारी को सरकार की नाराजगी व्यक्त की जाये (जिस की एक प्रति कर्मचारी/अधिकारी की चरित्र पंजी में भी रखी जाये) या और कोई उचित अनुशासनिक कार्यवाही की जाए । इसलिए इस बात पर जोर दिया जाता है कि सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों को प्रतिकूल विचारों के विरुद्ध अभिवेदन करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए ।

2. आप से अनुरोध है कि ये अनुदेश आप के नियन्त्रण में काम कर रहे सभी सरकारी कर्मचारियों के ध्यान में सूचना एवं मार्गदर्शन के लिए लाए जाएं ।

भवदीय,

हस्ताक्षर/-
उप सचिव, राजनैतिक एवं सेवाएं
कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

एक एक प्रति निम्नलिखित को सूचना के लिए भेजी जाती है :---
वित्तायुक्त राजस्व, हरियाणा तथा हरियाणा के सभी प्रशासकीय सचिव ।